न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 229–एक/92 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–10–92 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 63/86–87/अपील.

1– रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ

2– रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ

3– हरीराम पुत्र जगन्नाथ

4– अवन्ती बाई पत्नी जगन्नाथ

निवासीगण ग्राम चन्द्रपुरा

तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– पन्नालाल पुत्र गयादीन

2– हेमराज पुत्र गयादीन

3– चुन्नीलाल पुत्र गयादीन

निवासीगण ग्राम लुनियापुरा महू

तहसील महू जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक अनावेदक क. 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर पारित आदेश दिनांक 21–10–92 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के मृतक भूमिस्वामी गयादीन के स्थान पर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 557/10, 559/2, 560 एवं 646/2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, धार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने पर आवेदकगण के पूर्वज जगन्नाथ द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों को एक साथ संलगन कर दिनांक 17–12–68 को आदेश पारित किया जाकर केता गयादीन का नाम दर्ज किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, धार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–2–70 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–10–92 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगण के पूर्वज मृतक जगन्नाथ के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित हुआ है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा मृतक जगन्नाथ के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विकय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का स्वत्व आवेदकगण के पूर्वज जगन्नाथ को प्राप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित होने से उसका निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं ।

3/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि हमारे पूर्वजों की है, जिस पर हमारा ही आधिपत्य है । यह भी तर्क

प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन विकय पत्र फर्जी है, और उसे अपर कलेक्टर के समक्ष साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया गया है । यह भी कहा गया कि विकय पत्र में दर्शाये गये रकबे एवं विचारण न्यायालय द्वारा आदेश में दर्शाये गये रकबे में भिन्नता है । इस आधार पर कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है कि आवेदकगण द्वारा वर्ष 1957 में प्रश्नाधीन भूमि कय की गई है । वर्ष 1965–66 में प्रश्नाधीन भूमि का लगान अदा करने संबंधी प्रविष्टि है अर्थात् वर्ष 1957 में भूमि कय करने के पश्चात् वर्ष 1966 तक आवेदकगण द्वारा अपने पक्ष में नामान्तरण कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से मूल विकय पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त रकबे में भी भिन्नता है और इसी कारण कलेक्टर द्वारा भी विकय पत्र को संदिग्ध माना गया है । दर्शित परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर पारित आदेश दिनांक 21–10–92 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर